

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-29052026-272923
SG-DL-E-29052026-272923

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132]	दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2026/वैशाख 25, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 46
No. 132]	DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2026/VAISAKHA 25, 1948	[N. C. T. D. No. 46

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 12 मई, 2026

फा0 सं0 डीई.2(8)(14)/ई-II/भर्ती नियम/2016/547- गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितंबर, 1968 की अधिसूचना सं0 एस0 ओ0 3532 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 27/02/73 की अधिसूचना संख्या फा0 2(41)/72-एस0 II के द्वारा अधिसूचित, तत्पश्चात् दिनांक 28/06/1973 की अधिसूचना संख्या फा0 2(41)/72-एस0 II के द्वारा अधिसूचित संशोधन, दिनांक 28/06/1973 की अधिसूचना संख्या फा0 2(41)/72-एस0 II के द्वारा अधिसूचित संशोधन, दिनांक 02/02/1985 की अधिसूचना संख्या फा0 2(73)/82-एस0 II के द्वारा संशोधित तथा इसके अतिरिक्त दिनांक 26/02/1996 की अधिसूचना संख्या फा0 27(3)/94-शिक्षा के द्वारा संशोधन संबंधी स्नातकोत्तर अध्यापक (ललित कला) के पद हेतु भर्ती नियम के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात्, एतद् द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्नातकोत्तर अध्यापक (ललित कला) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(1) इन नियमों को शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्नातकोत्तर अध्यापक (ललित कला) के पद हेतु भर्ती नियमावली 2026 कहा जाए।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन स्तर

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएं

उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति

जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. बचाव

इन नियमों में भारत सरकार/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, बेंचमार्क दिव्यांगजनों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

क्र० सं०	विवरण	विस्तृत विवरण
1.	पदनाम	: स्नातकोत्तर अध्यापक (ललित कला)
2.	पदों की संख्या	: 217* (2020) *(इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर)
3.	वर्गीकरण	: सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह-‘ख’, अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	: वेतन मैट्रिक्स स्तर – 08 (रुपये 47,600–1,51,100/–) (पूर्व संशोधित रुपये 9300–34800/+ ग्रेड पे – रुपये 4800/–)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	: चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	: 30 वर्ष से अधिक नहीं

		(भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय।)
		टीप :- आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। (दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित)
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	अनिवार्य योग्यता :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ललित कला (पेंटिंग/मूर्तिकला/ग्राफिक्स/वाणिज्यिक कला) में मास्टर डिग्री। वांछनीय योग्यता : नहीं अनुभव : नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	आयु — नहीं शैक्षिक योग्यताएं — हां
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	दो (02) वर्ष सीधी भर्ती हेतु
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	(i) सीधी भर्ती द्वारा — 25% (ii) पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा — 75%
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	ग्रेड में दो वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 के रुपये 44,900—1,42,400/— में चित्रकला अध्यापक (ज्यामितीय और यांत्रिक ड्राइंग को छोड़कर) से पदोन्नति तथा कॉलम संख्या 7 में यथानिर्धारित योग्यताएं रखने वाले।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति/ विभागीय स्थायीकरण समिति (पदोन्नति/स्थायीकरण के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव/सचिव (शिक्षा) — अध्यक्ष 2. प्रधान सचिव/सचिव (श्रम) — सदस्य 3. विशेष/अपर सचिव (टीटीई) — सदस्य
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पाटिल प्रांजल लाहेनसिंह, अपर निदेशक (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION**NOTIFICATION**

Delhi, the 12th May, 2026

No. F.NO.DE.2(8)(14)/E-II/RR/2016/547— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 3532 dated 24th September, 1968 and in supersession of recruitment rules for the post of Post Graduate Teacher (Fine Arts) notified vide notification F2(41)/72-S.II, Dated 27/02/73, subsequent amendments notified vide Notification no.F.2(41)/72-S-II Dated 28/06/1973, amended vide notification No.F.2(73)/82-S-II, Dated 02/02/1985 and further Amendment vide Notification No. F.27(3)/94-Edn. Dated 26/02/1996, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the **Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi** after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Post Graduate Teacher (Fine Arts)** in the **Directorate of Education, Government of NCT of Delhi**, namely:—

1. Short Title and Commencement

- (i) These rules may be called the **Recruitment Rules for the post of Post Graduate Teacher (Fine Arts) in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, 2026.**
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the **Delhi Gazette.**

2. Number of Posts, Classification and Pay Level

The number of the said posts, their classification, and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in **Columns (2) to (4)** of the Schedule annexed hereto.

3. Method of Recruitment, Age Limit, and Qualifications

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in **Columns (5) to (13)** of the said Schedule.

4. Disqualifications - No person—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax

Where the **Government of the National Capital Territory of Delhi** is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age-limit and other concessions required to be provided for the **Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen, Persons with Benchmark Disabilities**, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India / Government of NCT of Delhi from time to time in this regard.

SCHEDULE

S. No.	Particulars	Details
1.	Name of the post	Post Graduate Teacher (Fine Arts)
2.	Number of posts	217* (2020) *(Subject to variation dependent on workload)
3.	Classification	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Pay Matrix Level-08 (₹47,600 – ₹1,51,100) (Pre revised Rs.9300-34800 plus grade pay Rs.4800/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government of India). Note: The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India.(as advertised by the Delhi Subordinate Services Selection Board / Competent Authority)
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualification: (i) Master in Fine Arts (Painting/Sculpture/Graphics/Commercial Arts) from a recognized University . Desirable Qualification: No Experience :No
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Age – No; Educational Qualifications – Yes
9.	Period of probation, if any	Two years for direct recruits
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	(i) By Direct Recruitment – 25% (ii) By Promotion failing which by Direct Recruitment – 75%
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which	Promotion from Drawing Teacher (excluding Geometrical and mechanical Drawing) in Level-7 of Pay Matrix of ₹44,900 – ₹1,42,400 with two years'

	promotion/deputation/absorption is to be made	regular service in the grade and possessing qualifications as prescribed in Column no.7.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Group 'B' DPC/DCC for (for consideration of Promotion/Confirmation) 1. Principal Secretary/Secretary (Education) – Chairperson 2. Principal Secretary/Secretary (Labour) – Member 3. Special/Additional Secretary (TTE) – Member
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
PATIL PRANJAL LAHENSINGH, Addl. Director of Education